# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–**काना राम आई.ए.एस.**

प्रकरण संख्याः–01 / 2023 अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

स्टेट जरिये बाबूलाल जानू प्रवर्तन अधिकारी, नोहर कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

राजू पुत्र श्री मनक कंवर जय मां ब्रहमाणी होटल, गोगामेड़ी तहसील नोहर

––अप्रार्थी

उपस्थितः– 1. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री अलंकार सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी।

–:निर्णयः– दिनांकः–15.05.2024

स्टेट जरिये बाबूलाल जानू प्रवर्तन अधिकारी, नोहर कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30.12.2022 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ हमराह प्रवर्तन अधिकारी, नोहर द्वारा गैस सिलेण्डरों की अवैध रिफिलिंग, व्यावसायिक दुरूपयोग व कालाबाजारी रोकथाम अभियान के दौरान गोगामेड़ी तहसील नोहर स्थित जय मां ब्रह्माणी होटल की जांच की गई। मौके पर होटल में राजू उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को होटल का मालिक होना बताया। मालिक ने बताया कि होटल में मिठाई एवं नमकीन बनाकर विक्रय करने का काम किया जाता है तथा विक्रय की गई सामग्री का मूल्य वसूल किया जाता है। होटल में तलाशी के दौरान उपयोग में लिये जा रहे इण्डेन कम्पनी के 3 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर होटल में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक रूप में उपयोग करना पाया गया तथा विक्रय की गई सामग्री का मूल्य वसूल किया जाना पाया गया। चूँकि घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किसी भी उपभोक्ता द्वारा स्वयं के उपभोग के लिये स्वयं के घर में किया जाता है तथा उसके द्वारा घरेलू उपयोग के अलावा भिन्न किसी परियोजन के लिये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मौके Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order 2000 के क्लॉज 3(1)(C) का उल्लंघन पाये जाने पर उक्त 3 घरेलू गैस सिलेण्डरों को जब्त किया गया तथा जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर श्री सौरभ जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन उम्र 31 वर्ष हाल प्रबन्धक, श्री रामदेव इण्डेन ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी, रामगढ़ की सुपुर्दगी में दिया गया। चूँकि श्री राजू पुत्र श्री मनक कंवर, जय मां ब्रहमाणी होटल, गोगामेड़ी तहसील नोहर का उक्त कृत्य Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order 2000 के क्लॉज 3(1)(C) का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए प्रस्तुत कर स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, नोहर कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त जब्तशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश फरमायें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया।

अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा [illegible] पत्र में अंकित किया गया कि प्रार्थी के होटल में प्रार्थी के होटल के कर्मचारियों के [illegible] पड़े 3 खाली सिलेण्डर को जब्त किया गया था। प्रार्थी का गोगामेड़ी में [illegible] है जिसे प्रार्थी बड़ी ही ईमानदारी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.10.10 11:20:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

संचालित करता है व उक्त होटल में नमकीन, मिठाई आदि बनाने व बेचने का कार्य करता है। प्रार्थी के होटल में राजकुमार पुत्र सतपाल व मौसम खान पुत्र बली खान लेबर का कार्य करते है। उक्त दिनांक 30.12.2022 को रामकुमार की पत्नी सरला अपने इण्डैन कम्पनी के दो सिलेण्डर व मौसम खां की पत्नी जैबुना इण्डैन कम्पनी का एक सिलेण्डर प्रार्थी की दुकान पर गैस भरवाने अर्थात सिलेण्डर रिफिल करवाने हेतु छोड़कर चली गई थी कि आम तौर पर प्रार्थी की दुकान पर ही इण्डैन सिलेण्डर वितरण गाड़ी आकर उक्त सिलेण्डर रिफिल का जाती है। परन्तु उसी दिन जिला रसद अधिकारी प्रार्थी के होटल पहुंच गये व प्रार्थी की दुकान पर पड़े उक्त खाली सिलेण्डरों को देखकर कहने लगे कि तुम घरेलू सिलेण्डर का उपयोग अपने होटल में कर रहे हो और प्रार्थी के होटल से उक्त तीनों सिलेण्डर जब्त कर लिये। प्रार्थी से जब्ती के समय उक्त तीनों ही सिलेण्डर खाली थे व फर्द मौका व जब्ती में भी उक्त सिलेण्डरों के वजन बाबत कहीं अंकन नहीं है और ना ही जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त सिलेण्डरों का वजन करवाया गया। प्रार्थी के होटल में किसी प्रकार की गैस भट्टी नहीं है परन्तु फिर भी जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को उक्त तथ्यों से अवगत करवाने के पश्चात भी उक्त तथ्यों को अनदेखा कर कार्यवाही की गई। फर्द मौका एवं जब्ती पा किसी भी स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये है जो कि उक्त कार्यवाही की संदेहता को प्रकट करता है इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध की गई उक्त कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जाने योग्य है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही ड्रॉप कर अप्रार्थी के जब्त सिलेण्डरों को वापस लौटाये जाने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा होटल से 3 घरेलू गैस सिलेण्डरों को कार्यरत हालत में पकड़ा गया है जो कि घरेलू गैस सिलेण्डरों को व्यवसायिक रूप में अवैध उपयोग है जिससे सिद्ध होता है कि उक्त होटल पर ही घरेलू सिलेण्डरों का उपयोग हो रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अप्रार्थी द्वारा तीनो घरेलू सिलेण्डरों को होटल पर रखना व उपयोग में लेना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा सिलेण्डरों को राजसात किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र को ही बहस के रूप में मानने और जब्तशुदा सिलेण्डरों को लौटाकर अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डरों की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और ना ही विचाराधीन प्रकरण में कोई ऐसे साक्ष्य पेश किये जिससे घरेलू गैस सिलण्डरों का निजी उपयोग साबित हो। इस प्रकार अप्रार्थी का निजी उपयोग हेतु सिलेण्डरों का उपयोग किये जाने का तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है। यह पश्चातवर्ती (After thought) तर्क है। पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थी स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, नोहर कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर उक्त तीनों सिलेण्डरों को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.10.10 11:20:35 IST
Reason: SelfAttested

(कानाराम)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़